Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 6 | JUNE 2024

गंभीर सामाजिक अनुचिंतन 'बाल अपराध': एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पंकज सिंह [1]

[1] **पोस्ट गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बागोड़ा, राजस्थान.**

ABSTRACT:

जीवन, संस्कृति, समाज राष्ट्र सभी का भावी विकास और निर्माण युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है अर्थात हमारे आज के बालक ही कल के समाज के सृजनहार होंगे। उनका नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक विकास निश्चित तौर पर एक उत्कृष्ट समाज की रचना करने वाला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि बालक नैतिक रूप से जितना समझदार होगा आने वाले कल के समाज में इन गुणों को भरना उसके लिए उतना ही लाजमी होगा। वर्तमान की बात करें तो आज समाज के नैतिक स्तर में अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। वैश्वीकरण, उदारवाद तथा पश्चिमी उन्मुक्त स्वच्छंदतावाद की वजह से किसी भी कार्य को बुरा नहीं कहा जा सकता। आज के मानव की मानसिकता यह है कि, "जैसी मर्जी वैसा करो और तब तक करते चलो जब तक दूसरों को कोई क्षति न पहुंचे"। जन सामान्य के आधार पर आज जिन मानदंडो को नैतिक रूप से उचित कहा जाता है आगामी पीढ़ी के लिए वही विध्वंसक रूप को धारण करने वाले होंगे। स्वच्छंद रति, नशीले द्रव्यों का प्रयोग अमेरिकी और पश्चिमी संस्कृति के प्रति अनुकरण सभी अपराध की श्रेणी को जन्म देने वाली भावनायें हैं। जबकि पश्चिमी देशों में ये सामान्य सी बात है। यही कारण है की आज की युवा पीढ़ी बाल्यावस्था से ही पश्चिमी देशों की संस्कृति की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रही है और शीघ्रता से अपने नैतिक स्तर को गिराती चली जा रही है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि, क्या भला है? क्या बुरा है? यही कारण है कि, आज बाल अपराध समाज में निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। वास्तविकता यह है कि, बाल अपराध एक गंभीर चिंतन का विषय है। यह एक सामाजिक विषय है। इसकी ओर ध्यान देना, इस विषय पर चर्चा करना, सामाजिक कर्तव्य है। ऐसी कौन सी भावनाएँ हैं? कौन सी व्यवस्थाएँ हैं? जिसके कारण बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्या उनके जीवन में नैतिकता का लोप है? क्या उनके जीवन में पारिवारिक प्रेम नहीं है? क्या उनका जीवन अनेक प्रकार की विषमताओं से परिपूर्ण हैं? ऐसा क्या है? की वह बाल्यकाल से ही अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यह वास्तव में एक चिंतन का विषय है, गंभीर विषय है जिसे नकारा नहीं जा सकता।

KEYWORDS:

सामाजिक अनुचिंतन, 'बाल अपराध', समाजशास्त्रीय, बाल्यकाल, विश्लेषण, नैतिकता, सांस्कृतिक, उदारवाद।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th June 2024	30th June 2024

प्रस्तावना -

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु रेलैमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि हो वह बाल अपराधी माना जायेगा।

बाल अपराध एक गंभीर समस्या

बाल अपराध वर्तमान समाज की एक गंभीर समस्या है। भारत में भी औद्योगीकरण तथा नगरीकरण की असंतुलित वृद्धि के साथ पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया निरंतर तीव्रता से वृद्धि को प्राप्त हो रही है। जिसके चलते बाल अपराधों की दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की जाने लगी है। जी. सी. दत्त का कथन है कि, "भारत में आज बाल अपराध की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है तथा देश के अनेक उन भावों में जो कुछ पहले तक पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र के थे आज औद्योगीकरण का तेजी से विकास होने के कारण यह समस्या शीघ्र ही पश्चिमी देशों के समान गंभीर रूप धारण कर सकती है"। वास्तविकता यह है कि, बाल अपराध की समस्या बच्चों के जीवन से संबंधित एक ऐसी गम्भीर समस्या है जिसको छोड़ देना उचित नहीं है। बाल अपराध पर समुचित नियंत्रण न होने के कारण वर्तमान जगत के बच्चे किशोर और युवाओं का भविष्य खतरे में आने लगा है। बालक गंभीर अपराध बन कर समाज को विघटित करने का स्रोत बन रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यक है कि, बाल अपराध की प्रकृति तथा कारणों का विश्लेषण करके इस समस्या के समाधान के व्यवहारिक प्रयत्न किए जाएं।

बाल अपराध की अवधारणा

बाल-अपराध का अर्थ समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों तथा कानूनविदों ने बाल अपराध को भिन्न-भिन्न रूप से परिभाषित किया है। विभिन्न देशों तथा एक ही देश में विभिन्न राज्यों के कानूनों के अनुसार बाल-अपराध की धारणा एक-दूसरे से कुछ भिन्न है। इसके पश्चात् भी बाल अपराध का सम्बन्ध प्रमुख रूप से एक निर्धारित आयु से कम के बच्चों द्वारा किये जाने वाले उन अपराधों से है जो राज्य के द्वारा दण्डनीय होते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बाल-अपराध की धारणा के दो प्रमुख आधार हैं एक है आयु, और दूसरा अपराधी व्यवहार की प्रकृति। बाल-अपराध की लगभग सभी परिभाषाएँ इन आधारों को ही केन्द्रित कर प्रदान की गई है। एम.जे. सेठना बाल अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि, "बाल अपराध के अन्तर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किये गये समाज विरोधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है"। जाहिर है कि, इन्होंने बाल अपराध में स्थानीय कानूनों को भी रेखांकित किया है। न्यूमेयर का मानना है कि, "बाल-अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है। जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। गिलिन के मत में "समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उसके द्वारा निषिद्ध होता है"।

अपराध की गंभीरता के आधार पर बाल अपराध को परिभाषित करते हुए मॉवरर कहते हैं

कि "किसी बच्चे द्वारा किया जाने वाला समाज-विरोधी व्यवहार जब इतना गंभीर हो जाता है कि राज्य द्वारा उसे दण्डित करना आवश्यक हो जाये, तब ऐसे व्यवहार को हम बाल अपराध कहते है"। अतः निश्चित है कि, एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है। रॉविसन के शब्दों में "बाल अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती हो"। ज्ञातव्य है कि बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपराधी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है।" इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि, अपराध तथा बाल अपराध का अन्तर मुख्य रूप से अपराध की आयु तथा अपराध के प्रति राज्य के दृष्टिकोण की भिन्नता से संबंधित है। एक निश्चित आयु से कम का बच्चा जब कानून के द्वारा निषिद्ध कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है अथवा सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तब ऐसे व्यवहार को हम बाल अपराध कहते हैं"।

इस प्रकार स्पष्ट है कि, बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम के बालक के द्वारा किया जाने वाला वह समाज विरोधी कार्य है जो समाज के द्वारा न तो स्वीकृत किया जा सकता है, न विस्मृत किया जा सकता है। और ना ही क्षमा की श्रेणी में आता है। ऐसा विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। अतः ऐसा समाज विरोधी कार्य बाल अपराध समझा जाता है जो एक स्थान विशेष के कानूनों द्वारा चिन्हित किया गया हो और जिससे सामाजिक व्यवस्था कल्याण और हित को खतरा होता हो।

रेकलेस ने यह विचार दिया है कि, "कभी-कभी आयु के आधार पर बाल अपराधियों का निर्धारण करना हास्यप्रद प्रतीत होता है, उन्होंने लिखा है कि, बाल अपराधियों की आयु सीमा निर्धारित करने के वैधानिक प्रयत्न से बहुत हास्यप्रद परिणाम उत्पन्न होता है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि, "एक व्यक्ति अपनी अठारहवी वर्षगांठ मनाने के एक सेकेंड बाद वही क्रिया करता है जिसके लिए वह पूर्व में दण्डित हुआ है, यह पुनरावृति अपराध मानी जाएगी।' बाल अपराध के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध का तात्पर्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना है।

बाल अपराध की प्रकृति

बाल अपराध की प्रकृति अन्य अपराधों से अलग होती है यह अपराध अनेक प्रकार की विशेष भावनाओं से भी जन्म लेते हैं। बाल अपराध से तात्पर्य केवल साधारण अपराधों से ही है। उदाहरण के लिए बच्चों द्वारा किये गये सामान्य अपराध जैसे जेब काटना, चोरी, मारपीट, अभद्रता, यौन अनैतिकता, अपराधी गिरोहों की संगति तथा जुआ खेलना आदि ही बाल अपराध के अन्तर्गत आते हैं। यदि कोई बच्चा अथवा किशोर किसी हत्या, देश-द्रोह, घातक आक्रमण अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य गंभीर अपराध का दोषी हो तो इसे बाल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अपराध का तात्पर्य उन सभी साधारण तथा गंभीर प्रकृति के कानून विरोधी कार्यों से है जो वयस्क व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं तथा जिनके लिए राज्य के द्वारा एक निश्चित दण्ड देने की व्यवस्था की जाती है।

बाल अपराध के कारक

बाल अपराध के सभी कारकों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा समता है:-

1. सामुदायिक कारक

सामुदायिक कारक बाल-अपराध की समस्या उत्पन्न करने में योगदान देते हैं जिनमें अपराधी क्षेत्र, बुरी संगति, दोष पूर्ण शिक्षा एवं विद्यालय का दोष आदि उत्तरदायी हैं। अपराधी क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ अधिकांश अपराधी निवास करते हैं, और जहाँ अपराध पूर्ण क्रियाएँ करते हैं। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले बच्चे भी अपराधी क्रियाओं से अप्रभावित नहीं रह पाते हैं। बुरी संगत भी एक ऐसा सामूदायिक कारक है, जिससे बाल-अपराध को बढ़ावा मिलता है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि 'संगति एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती है। अतः दुश्चरित बालकों की संगति में पड़कर अच्छे बच्चे भी बाल अपराधी बन जाते हैं।

दोष पूर्ण शिक्षा के कारण बच्चों का समाजीकरण उचित ढंग से नही हो पाता है, और उनमें अपराधी प्रवृतियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। इसी तरह स्कूल की पस्थितियों इस प्रकार की होगी की बच्चा शिक्षा के प्रति अरूचि रखने लगेगा तो उसमें स्कूल से भागने की प्रवृति उत्पन्न होगी।

2. परिवार सम्बन्धी कारक

वे परिवार संबंधी कारण जो बाल अपराध की समस्या को उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, परिवार सम्बन्धी कारण कहलाते हैं। जिनमें टूटे हुए परिवार, दोष पूर्ण अनुशासन, माता-पिता का प्यार प्राप्त न होना, परिवार का अनैतिक वातावरण, गन्दी बस्ती और अत्यधिक भीड़-भाड़ आदि मुख्य हैं।

टूटे हुए परिवार के कारण भी बच्चे अपराधी व्यवहार की ओर क्रियाशील होते हैं। माता-पिता के बीच विवाह-विच्छेद अथवा उनमें से किसी की मृत्यु अथवा करावास के कारण परिवार टूट जाता है, और बच्चों का समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता। फलस्वरूप बच्चे अपराधी व्यवहारों की तरफ आकृष्ट होते है।

अक्सर सौतेली माँ से बच्चों को प्यार नहीं मिल माता है, फलस्वरूप उसके अन्दर न केवल अपनी सौतेली माँ और परिवार से बल्कि सम्पूर्ण समाज से प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है और उसका झुकाव अपराधी क्रियाओं में हो जाता है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है, कि पारिवारिक वातावरण में प्यार प्राप्त न करने वाले बच्चे अक्सर घर से भाग जाते हैं और अपराधी व्यवहारों के माध्यम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। परिवार का अनैतिक वातारण भी बच्चों को अनैतिक व्यवहारों की तरफ आकृष्ट करता है। फलस्वरूप बाल-अपराधियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। गन्दी बस्ती मुख्यतः दो रूपों में बाल-अपराध को बढ़ावा देती है। गन्दी बस्तियों में बच्चों को खेलने के स्थान का नितान्त अभाव रहता है। जिसके कारण बच्चे अक्सर गलियों और सड़कों पर खेला करते हैं।

दोष पूर्ण अनुशासन के कारण भी बाल-अपराध की समस्या उत्पन्न होती है। दोष पूर्ण अनुशासन का मतलब बच्चों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण रखना या आवश्यकता से अधिक प्यार देना समझा जाता है।

3. आर्थिक कारक

निर्धनता बाल-अपराध को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। निर्धनता का शिकार बालक अपनी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए किसी भी अवैध तरीका को अपनाने लगता है। निर्धनता के कारण ही बहुत बच्चे भिक्षा माँगने का काम करते हैं और रेलवे प्लेट फॉर्म तथा बस स्टैण्ड पर यात्रियों का समान चुराने का कार्य करले लगते हैं।

4. व्यक्तिगत कारक

बाल अपराध की समस्या उत्पन्न करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोष तथा संवेगात्मक अस्थिरता विशेष रूप से उत्तरदायी समझे जाते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष शारीरिक तथा मानसिक दोषों के कारण बच्चा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और अपराधियों के सुझाव को जल्द ग्रहण कर लेता है, तथा अपराध की तरफ प्रवृति हो जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता कुछ विद्वानों ने संवेगात्मक अस्थिरता को बाल-अपराध का सर्व प्रमुख कारण माना है, जब बच्चों की मूल मानसिक आकांक्षाएँ या इच्छाएँ संतुष्ट नहीं हो पातीं तब उसमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है और वैसी स्थिति में वह अनेक ऐसा कार्य कर बैठता है जो समाज विरोधी या गैर कानूनी होते हैं।

5. वशांनुगत कारक

वंशानुक्रमण एक जैवीकीय तथ्य है। परिवार में जन्म लेने वाले में कुछ गुण वंशानुगत होते हैं। यदि माता-पिता या दादा-दादी या इससे पूर्व की पीढ़ी में कोई अपराधी प्रवृत्ति वाले सदस्य थे तो उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ी में भी देखा जा सकता है। वंशानुगत शारीरिक लक्षण तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं लेकिन सामाजिक स्थितियों के साथ अन्तर्क्रिया करने की प्रवृत्तियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा विकसित नहीं होती, इसे समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है।

गंभीर सामाजिक अनुचिंतन 'बाल अपराध'

वर्तमान में बाल अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई जिसके गर्भ में असंख्य कारण निहित है। आज अनेक दूसरे विकसित तथा विकासशील देशों के समान भारत में भी बाल-अपराध की समस्या ने अपनी जड़ें चारों ओर फैला ली हैं। यह सच है कि, प्राचीन काल में भी बाल अपराध हमारे देश में किसी-न-किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। लेकिन उस समय जनसंख्या के अनुपात में ऐसे अपराधों की संख्या बहुत कम थी। परम्परागत रूप से हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था तथा पड़ोस द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्राथमिक नियंत्रण, सुदृढ़ ग्रामीण संरचना एवं नैतिक नियम आदि ऐसे आधार थे जो बाल अपराध पर नियंत्रण बनाये रखने में अत्यधिक सक्षम थे। वर्तमान युग में नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा एकाकी परिवार व्यवस्था ने एक ऐसे सामाजिक पर्यावरण का निर्माण किया जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध होने लगे। वैयक्तिक

स्तंत्रतता की अतृप्त वृद्धि के कारण हमारे सामाजिक तथा नैतिक मूल्य बिखरने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में बाल-अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। आज बालकों में संस्कृति मूल्यों और नैतिकता की दृष्टि से तेजी से ह्रास हो रहा है । जिसका सीधा प्रभाव उनकी मानसिकता पर पड़ रहा है और वह अपनी आकांक्षाओं को परिपूर्ण न होता देख निरंतर अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि, भारतवर्ष में सन् 90 के बाद से प्रतिवर्ष 1,00,000 से भी अधिक बाल अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । यह संख्या बाल अपराधियों की वास्तविक संख्या से बहुत कम है जिसका प्रमुख कारण यह है कि, साधारणतः किसी बाल अपराधी को तभी पकड़ा जाता है जब उसका अपराध बहुत अधिक गंभीर प्रकृति का होता है या वह बार बार अपराध करने क्यों की श्रेणी में सूचित कर दिया जाता है । भारत में बाल अपराध के आंकड़ों तथा शोध ब्यूरो ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि, हमारे यहाँ मुख्य रूप से नगरों, महानगरों, व्यापार केंद्रों, भीड़ भरे क्षेत्रों से संबंधित स्थानों पर बाल अपराध की समस्या अधिक है । अवैध ढंग से चलाए जाने वाले शराबखाने, वैश्यालय, भीख मांगने के लिए संलग्न हजारों बच्चे इस अपराध की श्रेणी में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। घर के दोषपूर्ण वातावरण, माता पिता के तिरस्कार, शारीरिक दंड, स्वस्थ मनोरंजन का अभाव एवं कुसंगति इन बाल अपराधियों को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। इन सबके मूल में सबसे बड़ी समस्या नगरीय समस्या है।

वर्तमान समय में सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण समाज का विघटन है । टूटे हुए परिवार व अस्वस्थ पर्यावरण से प्रभावित होकर बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं । पति पत्नी के बीच का पृथक्करण बच्चों को प्रभावित करता है। लंबी बिमारी या स्वयं के जीवन की असुरक्षा अथवा आर्थिक अक्षमता भी बच्चों को अपराध की ओर अग्रसर करती है । घर में माता पिता के मध्य झगड़े, अत्यधिक मद्यमान, कटु व्यवहार, यातना, अवैध धंधों द्वारा आजीविका उपार्जित करना, अनैतिक व्यवहार ये सभी बालकों को अपराध की ओर अग्रसर करते हैं । ऐसे परिवारों में बच्चे न केवल स्वयं को असुरक्षित समझते हैं बल्कि धीरे धीरे स्वयं भी समाज के मूल्यों और मानवीय गुणों के प्रति तिरस्कार की भावनाओं से युक्त होकर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इन सब के फलस्वरूप बच्चे घर से भागना, साथियों से मारपीट करना, अपराधी गिरोह का साथ देना, रात में घूमना आदि विभिन्न अपराधों में संलग्न होते चले जाते हैं। धीरे धीरे उनका यही व्यवहार उनको अपराधगढ़ में खींचता चला जाता है इस और वह अपराधी मनोवृत्ति के हो जाते हैं चोरी करना ताले तोड़ ना नकली चाबियां बनाना जेब काटना शराब के अवैध कार्य करना आदि गिरोह में संलग्न हो जाते हैं इस प्रकार अपराधों में संलग्न रहते हुए जो समाज के द्वारा व्यक्ति के प्रताड़ना मिलती वो उन्हें लाने के जीवन में धकेल देती है और उनका जीवन हतोत्साहित हो जाता है ना तो वह अपराध से बचने की प्रवृत्ति में रहते हैं और न ही धंसने की प्रवृत्ति में हैं । वह जीते जीते मरण का प्रारंभ कर देते हैं । एक अथाह वेदना से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अपराध बालकों के जीवन को अन्धकारमय बना देता है । वर्तमान में आवश्यकता है कि, समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए । किसी भी अवस्था में बच्चों को प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के भाव से दूर ना किया जाए। उन को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छे वातावरण से जोड़ा जाए । उनकी संगति पर ध्यान दिया जाए। जीवन में होने वाले बदलावों को देखते हुए उनके कारणों की खोज की जाए । इस प्रकार एक समाज, सजग माता पिता अपने बच्चों को अपराध की श्रेणी में जाने से रोक सकते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि, बाल अपराध का एक प्रमुख कारक सामाजिक एवं आर्थिक है । पारिवार, नातेदार, परोस, शिक्षण, संस्थान, मित्र-समूह आदि में मौजूद दुष्प्रकार्यात्मक पक्षों के प्रभाव के कारण भी बच्चे अपराध करते हैं । आर्थिक गरीबी के कारण बच्चे अपराध की दुनियाँ में प्रवेश करते हैं । साथ ही अधिक सुख-सुविधा संपन्न एवं विलासितापूर्ण जीवन के परिप्रेक्ष्य में बच्चे अपराध करते है । इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध वर्तमान युग की सबसे गंभीर चिंतना है । जिसके लिए न केवल परिवार वरन समाज, संस्था, राष्ट्र, विश्व सभी को सजग होना होगा । तभी इस दीमक स्वरूप समस्या को अपने राष्ट्र से समूल नष्ट किया जा सकता है।

REFERENCES

1. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, - इलियट मबेल ए. एवं फ्रांसिस मेरिल, ई. (1950): हार्पर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयार्क।

2. डेलिक्वेंसी कंट्रोल - कार. लावेल जे, (1940): क्रिस्टोफर पब्लिशिंग हाउस, बोस्टन।

3. सोसियोलोजर ऑफ डेवियेंट बिहेवियर, - क्लीनार्ड, एम. बी., राइनहर्ट विंस्टन, इंक हॉल्ट, न्यूयार्क।

4. कल्चरल सोसाइटी - गिलिन, जे. एल. एण्ड गिलिन, जे. पी. (1960):, मैकग्राव हिल न्यूयार्क।

5. डेलिनक्वेंट्स एण्ड नन् डेलिनक्वेंट्स इन पर्सवेक्टिव, - ग्लूएक एण्ड शेल्डन, (1968): हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।

6. क्रिमोनोलोजि - टैफ्ट, डी. आर., (1956):, मैकमिलन, न्यूयार्क।

7. इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन जुवेनाइल डेलिनक्वेंट्स - गोखले, एस. डी. (1969), यूनाइटेड एशिया पब्लिकेशन लि०, बम्बई।

8. जुवेनाइल डेलिनक्वेंसी, - गोडार्ड, एच. एच. (1921): डॉड, मीड न्यूयार्क।

9. जुवेनाइल डेलिनक्वेंसी इन मॉडर्न सोसाइटी - न्यूमेयर, एम. एच. (1977):, लिटिल ब्रो, बोस्टन।